ISBN: 978-81-974088-0-9

13. वर्तमान समाज एवं दिव्यांग बालक की स्वास्थ्य संबंधी समस्या

चन्द्रहास साहू

सहायक प्राध्यापक,
सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय,
नवापारा.

प्रस्तावना:

भारतीय समाज में दिव्यांग जन (Divyang Jan) एक महत्वपूर्ण समूह हैं, जिन्हें शारीरिक, मानसिक या इंद्रिय क्षमता में किसी भी प्रकार की कमी होती है। इन व्यक्तियों को **"दिव्यांग"** कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है **"अद्वितीय शरीरिक अंग"।** यह शब्द भारतीय समाज में उनकी विशेषता और सम्मान को दर्शाने के लिए चयनित किया गया है। दिव्यांग जनों की संख्या भारत में लाखों में है, और उनकी जीवन भर में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां शारीरिक पहलु, सामाजिक स्थिति, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सहित होती हैं। भारत सरकार ने इन व्यक्तियों की मदद के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कुछ कार्यक्रम शिक्षा, रोजगार, आरामदायिता, और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में संघर्ष कम करने के लिए हैं। दिव्यांग जनों के संघर्ष को समझने के लिए, उनकी दैनिक जीवन की कई मुश्किलें शामिल होती हैं। शारीरिक असमर्थता उन्हें रोजमर्रा की गतिविधियों में संकोच कर सकती है, मानसिक चुनौतियां उनकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं, और इंद्रिय कमियां उनकी सामाजिक संगठन में शामिल होने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

समाज में दिव्यांग जनों को सम्मान और समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्हें समाज में समावेशी बनाने, उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों की आवश्यकता होती है। **दिव्यांग** शब्द का प्रयोग भारतीय प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** द्वारा किया गया है, जिससे इस समुदाय को समर्पितता और सम्मान का संकेत मिलता है। इस प्रकार**, "दिव्यांगजन सशक्तिकरण"**

कार्यक्रमों के माध्यम से, उन्हें नई उम्मीदें और संभावनाएं प्राप्त होती हैं और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। इस प्रकार, दिव्यांग जनों के अधिकार, समर्थन, और सम्मान की विशेष महत्वपूर्णता है जो उन्हें सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित है दिव्यांगजनो की सुविधा हेतु अनेक प्रकार की योजनाए जैसे दिव्यांग पेंशन योजना व सहायक उपकरण योजना,दिव्यांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना ,दिव्यांग भरण पोषण योजना ,दक्ष दिव्यांगजनों एवं उनके सेवायोजको को राज्य पुरस्कार , दिव्यांगजनों हेतु शिविरों और सेमिनार का आयोजन,दिव्यांग युवक-युवती विवाह प्रोत्साहन अनुदान और दिव्यांगजनों हेतु आश्रित कर्मशाला संचालित हैं । **प्रो. दामोदर मोरे के अनुसार,** विकलांगता उन लोगों में होती है जिन्हें कुदरत द्वारा दी गई शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रकार की कमजोरी है। इसे दुःख की जननी माना जाता है, लेकिन वे व्यक्तियां जो इस समस्या का सामना करती हैं, मानवता के सच्चे सिपाही हैं जो समाज में इनकी सम्मान और समावेशना के लिए काम करते हैं।सरकारी नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को दिव्यांग माना जाता है अगर उसकी विकलांगता का स्तर 40% से अधिक हो। **भारतीय सरकार द्वारा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार**, कई प्रकार की विकलांगता मान्य हैं, जैसे कि दृष्टि हीनता, निम्न दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवणबाधितता, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक रोग, औटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और अन्य। दिव्यांग जनों को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी शामिल है जिसके कारण उन्हें काम नहीं कर पाना, पढ़ नहीं पाना, नेतृत्व का अभाव आदि की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, उनको विशेष ध्यान और समर्थन की आवश्यकता होती है।

भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रही हैं जो विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने हेतु सदैव तत्पर रहती हैं । इन संगठन द्वारा विभिन्न चिकित्सा,अनेक सामाजिक समर्थन,हर संभव शिक्षा, और प्रत्येक क्षेत्र में स्वरोजगार आदि सेवाएँ प्रदान करते हैं, ताकि वे समाज में अन्य लोगो के समान अपनी भागीदारी व् कंधे से कन्धा मिलाकर चल सके । भारतीय समाज में विकलांग समुदाय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण वे अक्सर समाज की मुख्य धारा से अलग महसूस

करते हैं। विकलांगता उन व्यक्तियों को संकेतित करती है जिन्हें किसी भी शारीरिक या मानसिक विकृति की समस्या होती है, जिसके कारण वे सामान्य व्यक्तियों से अलग दिखाई देते हैं। इसे सामाजिक नकारात्मकता की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने "दिव्यांग" शब्द का उपयोग करके इस समुदाय को सम्मानित किया है। मोदी जी ने दिव्यांग शब्द 15 दिसंबर 2015 को मन की आवाज रेडियो प्रोग्राम में किया था।

दिव्यांगता :-

दिव्यांगता शब्द का अर्थ "अलौकिक" या "दिव्य" है, जो संस्कृत से लिया गया है। यह शब्द **"दिव्य" और "अंग"** के मिलने से बना है और हिंदी में "विकलांग" कहा जाता है।

विकलांग व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ होते हैं, और उन्हें अपंग भी कहा जाता है, जो एक उचित और सम्मानजनक शब्द नहीं है। हालांकि, इन व्यक्तियों की आत्मा और क्षमताओं में कोई कमी नहीं होती। समाज में इन्हें समानता और सम्मान का हक मिलना चाहिए, और उन्हें भी स्वतंत्रता, समर्थन और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। **नरेंद्र मोदी** जी ने दिव्यांग शब्द का प्रयोग भारतीय समाज में विकलांगता से जुड़े व्यक्तियों के लिए किया है। उन्होंने इस शब्द का उपयोग करके विकलांग व्यक्तियों के प्रति समर्पितता और सम्मान का संकेत दिया है।

भारत के **प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी** ने अपनी भाषणों और सार्वजनिक उपस्थितियों में इसे उजागर किया है ताकि समाज में इन व्यक्तियों के प्रति विशेष संवेदनशीलता और सहानुभूति बढ़ सके।

दिव्यांगता के प्रकार और उसके स्वास्थ्य समस्या को जानना व् समझना

विकलांगता एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमताओं में कुछ कमी होती है, जिसके कारण उनके लिए कुछ निश्चित गतिविधियां करना और अपने आसपास की दुनिया के साथ अंतःक्रिया करना कठिन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिव्यांगता की परिभाषा को तीन चरणों में विभाजित किया है -

क्षति (Impairment):-व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबन्धित ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के किसी अंग की रचना अथवा कार्य में दोष/अकार्यक्षमता/दुर्बलता होना |

दिव्यांगता (Disability):- क्षति के कारणदिव्यांगता निर्मित होती हैं | अर्थात, संरचनात्मक अथवा कार्यात्मक क्षति लंबे समय तक रहकर व्यक्ति को उसके दैनिक क्रियाकलापों में रूकाबट बन जाती हैं | इस अवस्था कोदिव्यांगता कहा जाता हैं |

बाधिता (Handicap):-दिव्यांगता के कारण बाधिता निर्मित होती हैं | यानि दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के अकार्यक्षमता के कारण व्यक्ति को समाज की गतिविधियों और मुख्यधारा में सहभागिता से वंचित होना पड़ता हैं | अर्थात, व्यक्ति समाज द्वारा अपेक्षित भूमिका नहीं निभा पाता हैं | इस अवस्था को बाधिता कहते हैं ।

दिव्यांगता के प्रकार :- भारत सरकार द्वारा **दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016** के तहत मान्यता प्राप्त 21 प्रकार के विकलांगता होती हैं जो निम्नप्रकार हैं :-

अंधापन (Visual Impairment):- देखने में असमर्थता को ही अंधापन कहते हैं। व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होती है। अंधापन विकार वाले व्यक्ति को दूरी, रंग, या क्लियरिटी की समस्याएँ हो सकती हैं।

कुष्ठ रोग (Leprosy Cured Persons):- Mycobacterium leprae नामक बैक्टीरिया के कारण अपंगता होती है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो परिधीय तंत्रिका, त्वचा, आंख, और ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहमें होती है। यह रोग किसी भी व्यक्ति में कभी भी हो सकता है।, इसे हैनसेन रोग (एच.डी.) के नाम से भी जाना जाता है।

हीमोफिलिया (Hemophilia):- यह एक अनुवांशिक रोग है जो माता-पिता के द्वारा बच्चों में आता है। इसका संबंध रक्त से होता है। इसके शरीर में कुछ प्रोटीन का अभाव रहता है, जो रक्त थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है, और इसी के कारण इस रोगी को चोट लगने या सर्जरी होने पर रक्तस्त्राव बंद होने में अधिक समय लगता है।

चलन-सम्बंधी विकलांगता (Locomotor Disability):- पैरों से संबंधित विकलांगता को ही चलन-सम्बंधी विकलांगता में रखा गया है। इसमें व्यक्ति की गति, आपसे किसी चीज को पकड़ना, बैठना, चलना, उठाना, आदि में समस्याएँ होती हैं। इसमें मांसपेशियों और हड्डियों की विकलांगता भी आती है।

मानसिक विकलांगता (Mental Illness):- इसके अंतर्गत स्मृति, सोच, धारणा, मनोदशा, समझ, व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता आदि को प्रभावित करने वाली सभी बीमारियों को मानसिक विकलांगता में रखा जाता है।

बहुविकलांगता (Multiple Disabilities):- बधिर-अंधे (दृश्य दोष + श्रवण दोष), दृश्य हानि + श्रवण हानि + मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी आदि को बहुविकलांगता के अंतर्गत रखा गया है। बच्चे को सीखने में कठिनाई, अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने और/या सुनने और देखने में भी कठिनाई हो सकती है।

मुख और कान्त द्वारा बोलने में विकलांगता (Speech and Language Disability):- इस प्रकार की विकलांगता भाषा कौशल और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। मुख और कान्त द्वारा बोलने में विकलांगता वाले व्यक्ति शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, हकलाते हैं या मुख से आवाज नहीं निकलता।

मानसिक विकलांगता (Intellectual Disability):- मानसिक विकलांगता से ग्रासित व्यक्ति की IQ 70 से कम होती है। इसके कारण रोज की गतिविधियों को करने में कठनाई होती है। उन्हें चलना, कपड़े पहनना, भोजन करना या सीखने में देरी, याद रखने में कठिनाई, निर्देशों का पालन करने में कठिनाई होती है।

मूकता (Hearing Impairment):- मूक में व्यक्ति को सुनने में कठिनाई होती है। यह समस्या कान की अंतर्निहित सुनने की क्षमता में कमी के कारण होती है।

मस्तिष्क रोग (Cerebral Palsy):- यह एक गंभीर शारीरिक विकार है जो ज्यादातर जन्म से ही होता है। इसका कारण मस्तिष्क के विकास में समस्याएँ होती हैं। इससे व्यक्ति की मस्तिष्क की उन हिस्सों को प्रभावित किया जाता है जो मांसपेशियों और गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे शारीरिक नियंत्रण और गतिविधियों को प्रभावित किया जा सकता है।

मानसिक विकलांगता (Mental Disability):- मानसिक विकार या मानसिक रोग एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की मनोदशा, सोच, अभिव्यंजन, स्मृति, धारणा, व्यवहार, निर्णय क्षमता, वास्तविकता को समझने की क्षमता, या जीवन की मांगों को पूरा करने की क्षमता में विकार होता है। इसका कारण मस्तिष्क के विकास में अधूरापन या विकास में बाधा हो सकती है, जिससे मानसिक प्रक्रियाओं में विघटन होता है।

मुक्त/बौनापन (Dwarfism):- यह एक शारीरिक विकृति है जो व्यक्ति की ऊँचाई को सामान्य से कम कर देती है। इसमें शारीरिक विकास में ठीक से नहीं हो पाने से व्यक्ति की मांसपेशियों और हड्डियों का विकास उचित प्रकार से नहीं होता। बौनापन की वजह जन्म से हो सकती है, जीनेटिक अवरोध, या अन्य चिकित्सा समस्याएँ हो सकती हैं।

मुक्तता (Muscular Dystrophy):- मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता है जो अनुवांशिक या जन्म के बाद हो सकती है। इसमें मांसपेशियों में कमजोरी होती है और उनका नष्ट होता है, जो व्यक्ति की शारीरिक कार्यात्मकता और स्नायुओं के विकास में कमी का कारण बनता है।

एल्स्ट्रोफी (Acid Attack Victims):- यह तेजाब के हमले से होने वाली शारीरिक विकृति ,आँख ख़राब हो जाती हैं । इसके हमले से व्यक्ति के शरीर में गहरी चोट लगती है, जिससे उसके व्यक्तित्व और सौंदर्य पर असर पड़ता है।

असहाय (Autism Spectrum Disorder):- यह एक तंत्रिका-सम्बंधी विकासात्मक विकार है जिसमें व्यक्ति की बोलचाल और व्यवहार प्रभावित होता है।

यह विकार किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है और व्यक्ति के भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

मस्तिष्क रोग (Parkinson's Disease):- पार्किंसन रोग एक केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। इससे कंपकंपी, जकड़न, और चाल/गति में परिवर्तन होता है, जो उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं।

नेत्र **(Blindness)**:- नेत्र से संबंधित विकलांगता में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह शारीरिक विकृति है जिसमें नेत्र या नेत्र न्यूरॉन्स में समस्या होती है।

निम्न-दृष्टि / अल्प दृष्टि **(Low Vision)**:- अल्प दृष्टि में व्यक्ति की दृष्टि अत्यंत कमजोर होती है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा देखाई देता है। इससे व्यक्ति को दृष्टि की स्पष्टता, रंग, या दूरी में समस्याएँ हो सकती हैं।

सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease):- यह एक आनुवांशिक रक्त संक्रमण है जिसमें रक्त कोशिकाएँ असामान्य आकार की हो जाती हैं।

यह असामान्य रक्त कोशिकाएँ हेमोग्लोबिन के निर्माण में कमी का कारण बनती है, जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता को प्रभावित करता है।

थैलेसीमिया **(Thalassemia)**:- थैलेसीमिया भी एक आनुवांशिक रक्त संक्रमण है जिसमें हेमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है। यह रक्त में ऑक्सीजन परिवहन करने वाले मुख्य पोषक तत्व होता है।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस **(Multiple Sclerosis)**:- यह एक तंत्रिका तंत्र सम्बंधी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने लगती है।

इससे माईलीन शीथ (न्यूरॉन्स के ऊपर की परत) क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे नर्व फाइबर्स पर असर पड़ता है और सूचनाओं का प्रवाह बाधित होता है।

उपरोक्त प्रकार के दिव्यांग पाया जाते हैं जिसमें ग्रषित व्यक्ति कम या अधिक प्रभावित होते हैं अगर इन सभी प्रकारों के लक्षण को शुरुवात में ही पहचान लिया जाये तो सुधार हेतु यथा संभव प्रयास किया जा सकता हैं |

इसके स्वाथ्य और अन्य सहयोग के लिये हमेशा तत्पर तथा समाज के लोगों को भी इस क्षेत्र में जागरूक करना आवश्यक हैं ताकि दिव्यांग लोगो को भी अन्य व्यक्ति की तरह समाज में स्वतंत्र रूप से जीने का हक और अधिकार मिल सके |

दिव्यांग की स्वास्थ्य समस्या का निदान :-

दिव्यगता व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों में अपना असर डालता है, अलग अलग दिव्यांग लोगो को अलग अलग प्रकार स्वाथ्य संबंधी समस्याओं से ग्रासित हैं |

विकलांगता व्यक्तियों के स्वास्थ्य परिस्थितियों को समझने में उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पाना, विशेष चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करना, और उनकी सामाजिक-मानसिक जरूरतों को समझना आवश्यक है।

विकलांग व्यक्तियों की स्वास्थ्य सेवाओं में पहुँच बढ़ाने के लिए संगठन, सरकारी नीतियां, और सामाजिक संगठनों का सहयोग आवश्यक है। विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सीय, पेशेवर, और समाजिक संदर्भों में सहायता प्राप्त करने के लिए उनके परिवार, समुदाय, और संगठनों को साझा जिम्मेदारी उठानी चाहिए।इसके अतिरिक्त, समाज में जागरूकता बढ़ाने, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समझ और समर्थन में वृद्धि करने के लिए शिक्षा, मीडिया, और सार्वजनिक नीतियों में सुधार की जरूरत है।

समाज को विकलांगता को समझने और उसे रोकने या कम करने के प्रयास करना चाहिये है। इस के लिए समाज में जागरूकता फैलानी होगी , ताकि विकलांग व्यक्तियों के साथ सही तरीके से व्यवहार कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, और उन्हें समाज में सम्मान प्रदान कर सकें।

विकलांगता को रोकने या कम करने के लिए कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं:

अनुकूल और सहायक योजनाएँ: समाज और सरकारी ऐसी योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है जो विकलांग लोगों को समर्थन और सहायता प्रदान करें, जैसे उन्हें शिक्षा, नियोक्ता, और सामाजिक संबंधों में समानता देने वाली योजनाएँ।

शिक्षा और प्रशिक्षण: विकलांगता को प्राथमिकता देने वाले शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना चाहिए।

कृत्रिम उपकरणों का उपयोग :- तकनीकी सहायता और कृत्रिम उपकरणों का उपयोग करके विकलांग लोगों को स्वतंत्रता और स्वावलंबन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

समुदायिक सहयोग: समुदाय के सदस्यों और स्थानीय संगठनों को विकलांगता के समर्थन में शामिल करना चाहिए।

सामाजिक सम्मेलन: विकलांग लोगों को समाज में शामिल करने में मदद करने वाले समाजिक सम्मेलनों का आयोजन करना चाहिए ।

नीतियां और क़ानूनी संरक्षण: सरकार को विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित नीतियां बनानी चाहिए और उनके पास उचित क़ानूनी संरक्षण होना चाहिए। इन सुझावों को अमल में लाने से विकलांगता को कम करने और समाज में विकलांग लोगों को सम्मान देने में मदद मिल सकती है।

भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ:-

भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध हैं जो निम्नानुसार हैं

सरकारी अस्पतालों में विशेष विकलांग चिकित्सा इकाइयाँ: -

आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली में विशेष विकलांग चिकित्सा इकाइयाँ हैं जो विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करती हैं।

सफदरजंग अस्पताल, New Delhi: इस अस्पताल में विकलांगता संबंधी सेवाएँ विशेष रूप से उपलब्ध होती हैं, जैसे कि विशेष रूप से विकलांगता के अनुकूलित कक्षाएँ और चिकित्सा सेवाएँ।

राम मोहन लोहिया अस्पताल, New Delhi: इस अस्पताल में भी विशेष विकलांग चिकित्सा इकाई है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करती है।

विशेषज्ञ चिकित्सा:- बड़े शहरों और मेट्रोपोलिटन इलाकों में दिव्यांग विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध होती है जो दिव्यांग व्यक्तियों की विशेषता के अनुसार चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करते हैं। इनमें ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, और फिजियोथेरेपी जैसे विशेष विकलांग चिकित्सा के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं,

चिकित्सा कैंप्स और अनुसंधान: - कई संगठन और सरकारी अस्पताल विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा कैंप्स आयोजित करते हैं। इन कैंप्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा सेवाएँ और सलाह प्रदान की जाती है।

National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP): - NCPEDP भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काम करता है। यह संगठन रोजगार, शिक्षा, और सामाजिक समर्थन सेवाएँ प्रदान करता है।

Action for Ability Development and Inclusion (AADI): - AADI विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांगता से जुड़ी समस्याओं को समाधान करना।

Enable India: - Enable India विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार समर्थन, और कौशल विकास की सेवाएँ प्रदान करता है। यह संगठन भारत भर में कार्य करता है।

Samarthanam Trust for the Disabled: - Samarthanam Trust विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार समर्थन, और सामाजिक समर्थन सेवाएँ प्रदान करता है। इसका मुख्य केंद्र बंगलौर में है, लेकिन यह अनेक राज्यों में अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।

Disability Rights Alliance (DRA): - DRA भारत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।

यह अधिकांशतः राजनीतिक लोभी संगठन होता है जो नीतियों में सुधार करने का काम करता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत में कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हैं जो विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा समर्थन और सहायता प्रदान करती हैं जो स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।

ये संगठन चिकित्सा, सामाजिक समर्थन, शिक्षा, और स्वरोजगार की संभावनाएँ आदि सेवाएँ प्रदान करते हैं, ताकि वे समाज में सक्रिय भागीदारी कर सकें और समाज के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चल सके । इन संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियां समाज में अपनी स्थिति सुधारने और समाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने में मदद प्राप्त कर सकती हैं।

निष्कर्ष :-

विकलांग समुदाय भारतीय समाज का अहम हिस्सा है, जिसे समाज में सम्मान और समावेशन के लिए लड़ना पड़ता है। विकलांगता उन व्यक्तियों को संकेतित करती है जिन्हें शारीरिक या मानसिक कमजोरी है, लेकिन उनकी आत्मा और क्षमताओं में कोई कमी नहीं होती। दिव्यांग शब्द का प्रयोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जिससे इस समुदाय को समर्पितता और सम्मान का संकेत मिलता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से युक्त दिव्यांग जनों को समाज में उचित समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का पूरा लाभ मिल सके। भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रही हैं जो विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने हेतु सदैव तत्पर रहती हैं । इन संगठन द्वारा विभिन्न चिकित्सा,अनेक सामाजिक समर्थन,हर संभव शिक्षा, और प्रत्येक क्षेत्र में स्वरोजगार आदि सेवाएँ प्रदान करते हैं, ताकि वे समाज में अन्य लोगो के समान अपनी भागीदारी व् कंधे से कन्धा मिलाकर चल सके ।

संदर्भग्रंथ :-

1. डॉ. शाशांक विक्रम सिंह- सर्वांगीन विकलांगता: स्थितियाँ और समाधान
2. डॉ. रंजना नागपाल -विकलांगता: समस्याएं और समाधान
3. डॉ. श्रीमती साधना शर्मा-दिव्यांगता और समाज

4. डॉ. महेंद्र सिंह -दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकार
5. डॉ. रमेश नाथ झा -दिव्यांग जन एवं उनकी सामाजिक स्थिति
6. Colin Barnes - Disability Studies: A Student's Guide
7. Doris Zames Fleischer and Frieda Zames - The Disability Rights Movement: From Charity to Confrontation
8. Lennard J. Davis -The Disability Studies Reader
9. Julie Smart- Disability and Society: Emerging Issues and Insights
10. Charles A. Riley II -Disability and the Media: Prescriptions for Change
11. https://viklangta.com/viklangta-ke-prakaar-hindi/
12. https://sparsh.mp.gov.in/Public/SparshPublicPages/disabilitydef.aspx
13. https://www.nhfdc.nic.in
14. www.disabilityaffairs.gov.in
15. www.sugamyabharat.in
16. www.ncpedp.org
17. www.dralegal.org
18. www.dredf.org